कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बून्दी

कमांक-जिशिअ/मु/मा/बू/संस्था-1/शाशि,प्रो-III/2020-21/512 दिनांक 27.02.2020

कार्यालय-आदेश

श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/ एफ-1/12102/शाशिप्रो-III/सी0भ0/वो-1/2017-18 दिनांक 29.11.19 के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा भर्ती वर्ष 2018 के अन्तर्गत शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक-तृतीय श्रेणी के पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में विचाराधीन रिट संख्या 13257/2018,15078/2019 एवं 17309/2019 तथा अन्य समान याचिकाओ में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयो के अध्याधीन संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक-अनुदेशक तृतीय श्रेणी के पद पर राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान)नियम-2017 के वेतन लेवल-10 में दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में **नियत मानदेय 23700/-** पर संयुक्त शासन सचिव शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग राजस्थान सरकार के आदेश कमांकः-प,17(8)शिक्षा-2/2013 जयपुर दिनांक 15.11.19 में वर्णित निर्देशो अनुसार दिनांक 07.12.2019 को परामर्श शिविर में प्राप्त विकल्प पत्र में वर्णित स्थान पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान राज्य से बाहर के बोर्ड/विश्वविद्यालस से शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक दस्तावेजो के सत्यापन अब प्राप्त होने पर यह नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी किया जाता है। संबंधित चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पदस्थापन स्थान पर **दिनांक 05.03.2020** तक अनिवार्यतः कार्यग्रहण करेगे । उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा ।

संस्थाप्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेगें :-

01 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नही करवाया जायेगा । पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिको हेतु यह आवश्यक नही होगा ।

02 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक-एफ-7(1) डीओपी/ए-II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होनें संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 50 रू0 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे ।

03 विवाहित अभ्यर्थियो के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/- रू का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

04 आवेदन द्वारा दहेज नही लिये जाने का स्व-घोषणा पत्र (प्रारूप) प्राप्त किया जावे।

05 अभ्यर्थियो द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज/ प्रमाणपत्र के संबंध में 50/- रू का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेगे कि यदि इनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज/ प्रमाणपत्र वैध व मान्य नही पाई गई तो उनका चयन निरस्त करने एवं उनके विरूद्व कानूनी कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा ।

06 अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नही होता है अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति कीमिलेयर का नही है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नही होना चाहिऐं। यदि कोई अभ्यर्थी कीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदनपत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाये।

07 अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाणपत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिऐ। महिला आवेदको के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधर पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाणपत्र मान्य नही है । परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधर पर प्रमाणपत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा।

08 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता,मकान किराया भत्ता, शहरीक्षति पूर्ति भत्ता,महंगाई वेतन(डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नही होगा।

09 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा,सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नही होगी।

10 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नही माना जावेगा।

11 परिविक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हे कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित विभाग के आदेश कमांक एफ-12(9)एफडी(रुल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा ।

12 वित विभाग के आदेश कमांक एफ-12(9)एफडी(रुल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुरनेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।

13 चयनित अभ्यर्थियो के कार्यग्रहण से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजो की जांच आवश्यक रूप से करे।

14 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही है इनके त्रुटिपूर्ण , जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वत्रन्त्र होगा।

15 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांकः- प. 7(3)कार्मिक/ क-2/06पार्ट दिनांक 4.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मधपान एवं गुटखा सेवन नही करने सम्बन्धी बचन बंधता (**Undeertaking**) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।

16 यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में विचाराधीन रिट संख्या 13257/2018, 15078/2019 एवं 17309/2019 तथा अन्य समान याचिकाओ में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयो के अध्याधीन होगी।

<u>संलग्नः- पदस्थापन आदेश पेज न. 01</u>

27/2/2020

(श्रीमती तेज कंवर)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक बून्दी
दिनांक 27.02.2020

कमांक-जिशिअ/मु/मा/बू/संस्था-1/शाशि,ग्रेड-III/2020-21/572

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-</u>

01 शासन उप सचिव,प्रथम महोदय शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान,जयपुर ।
02 संयुक्त शासन सचिव, महोदय शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान,जयपुर ।
03 शासन उप सचिव महोदय कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान जयपुर ।
04 सहायक शासन सचिव महोदय शिक्षा(क-2) विभाग राजस्थान जयपुर ।
05 निदेशक महोदय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा ,राजस्थान बीकानेर ।
06 सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग ,अजमेर ।
07 संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर ।
08 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-विधि जयपुर/जोधपुर ।
09 अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान जयपुर
10.संयुक्त निदेशक महोदय स्कूल शिक्षा कोटा संभाग कोटा।
11.मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय बून्दी।
12.जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रार0शिक्षा बून्दी मेपिंग वास्ते।
13.मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पं.स. बून्दी/तालेडा/हिण्डोली/नैनवा/के0पाटन
14.समस्त पदेन पंचायत,प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, एवं संस्थाप्रधान राउमावि ....
15.संबंधित संस्थाप्रधान..
16.रक्षित पत्रावली

(श्रीमती तेज कंवर)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिक बून्दी

कार्यालय–जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय(माध्यमिक) बून्दी

क्रमांक–जिशिअ/मु/मा/बू/संस्था–1/शाशि ग्रेड–III/2020–21/5R

दिनांक 27.02.2020

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/ माध्य/संस्था/ एफ–1/12102/शाशिग्रेड–III/सी0म0/वो–1/2017–18 दिनांक 29.11.19 के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा भर्ती 2018 द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक–तृतीय श्रेणी के पद पर चयनोपरान्त दिनांक 07.12.19 को आयोजित काउंसलिंग मे स्वयं अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्प पत्र के आधार पर जारी पदस्थापन आदेश।

SNO	Photo	Merit No.	NAME	F NAME	DOB	GENDER	CAT	SEL_CAT	Address	पदस्थापन स्थान	ब्लॉक
1		4019	VINOD KUMAR BAGARI	BHAR MAL BAGARI	06-Oct-88	Male	SC	SC	VILL AND POST MAYAZA TH K. PATAN DIS.BUNDI K. PATAN PINCODE 323602 DIST.BUNDI	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL PACHIPLA (471854)(08230204101)	K.PATAN
2		1632	RANJEET MEENA	OM PRAKASH MEENA	07-May-91	Male	ST	GEN	VILL-DELUNDA POST-AJETA TEH-BUNDI DELUNDA PINCODE 323803 DIST.BUNDI	GOVT. UPS CHHAD GAON(08230209001)	K.PATAN

२७/२/२०२०

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय)माध्यमिक,बून्दी